



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

विषय-आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने बाबत।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	पदमा रोचवानी पत्नी श्री भारत रोचवानी	गोपाल लाल मीणा पुत्र श्री रामपाल मीणा	247	शिव शंकर गृ.नि. स.स.	अशोक विहार	लीजडीड	अपंजिकृत विक्रय पत्र एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर।

SRB-1672
प/प्र/2022

(Signature)

उपस्थित जून-9
जविप्रा, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जविप्रा/जोन-9/2022/ क्रमांक:/डी- 5667
दिनांक 30/07/2022



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

विषय-आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने बाबत।


क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री विष्णु कुमार शाहू पुत्र श्री चिरंजी लाल साहू	श्री श्यामसुन्दर गुप्ता पुत्र श्री राम किशोर गुप्ता	46	शिवशंकर गृ.नि. स.स.	अशोक विहार	लीजडीड	अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर।
2	श्री भगवान सिंह पुत्र श्री रामलाल चिटकारा एवं श्रीमती ममता चिटकारा पत्नी श्री भगवान सिंह	श्री रामचन्द्र दासवानी पुत्र श्री फतन लाल दासवानी	103	शिवशंकर गृ.नि. स.स.	अशोक विहार	लीजडीड	अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर।
3	श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री घनश्याम गुप्ता	श्री रामचन्द्र दासवानी पुत्र श्री फतन लाल दासवानी	103-ए	शिवशंकर गृ.नि. स.स.	अशोक विहार	लीजडीड	सदस्यता सूची में किसी अन्य का नाम होने के कारण।

PROR-1473
4/12/22

5666
30/12/22

उपायुक्त, जयपुर
जविप्रा, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./जोन-09/2022/डी- 5661

दिनांक:- 5/9/2022

सार्वजनिक सूचना

निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.गज)	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	306-ए	183.33	अशोक विहार	श्री गोविन्द राम कुलदीप एवं श्री अशोक कुमार कुलदीप	गणेश चन्द गुप्ता पुत्र श्री रमेश चन्द गुप्ता	सदस्यता सूची में मोहन लाल रैगर का नाम अंकित है एवं अपजिकृत विक्रय पत्र के आधार पर लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है।

PR/22-1674
5/9/2022

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का करारें।


उपायुक्त जोन-9,
जविप्रा, जयपुर
उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

[रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (8320); फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल { abusufiyan.ras@gmail.com }



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-12/2022/डी- 3373

दिनांक 30-9-2022

-: आम सूचना :-

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	सोसायटी के अनुसार संख्या भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल (व.ग.)	गृ.नि.स. स/निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिनके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री फूलाराम पुत्र श्री भगवानाराम	प्रहलाद प्रजापत पुत्र श्री कल्याण प्रजापत	53	557.84	बाबा आर. एन गौड	सुशीला विहार	उपविभाजन/फ्री-होल्ड पट्टा	अपंजीकृत इकरारनामा
2	सुनन्दा शेखावत पुत्री श्री दयाल सिंह	दयाल सिंह पुत्र श्री श्योनाथ सिंह	54	494.65	बाबा आर. एन गौड	सुशीला विहार	उपविभाजन/फ्री-होल्ड पट्टा	अपंजीकृत इकरारनामा
3	दयाल सिंह पुत्र श्री श्योनाथ सिंह	सुनन्दा शेखावत पुत्री श्री दयाल सिंह	55	542.72	बाबा आर. एन गौड	सुशीला विहार	उपविभाजन/फ्री-होल्ड पट्टा	अपंजीकृत इकरारनामा
4	सुमन कंवर पत्नी श्री दशरथ सिंह	श्री स्वरूप कंवर पत्नी श्री रामसिंह	56	569.20	बाबा आर. एन गौड	सुशीला विहार	उपविभाजन/फ्री-होल्ड पट्टा	अपंजीकृत इकरारनामा
5	श्री गोविन्दराम गायेल पुत्र श्री तुहिराम	श्री कस्तूर चन्द पुत्र हेमाराम	57	531.12	बाबा आर. एन गौड	सुशीला विहार	उपविभाजन/फ्री-होल्ड पट्टा	अपंजीकृत इकरारनामा
6	श्री गोविन्दराम गायेल पुत्र श्री तुहिराम	बलराज उदय पुत्र श्री कन्हैयालाल उदय	58	652.39	बाबा आर. एन गौड	सुशीला विहार	उपविभाजन/फ्री-होल्ड पट्टा	अपंजीकृत इकरारनामा
7	श्री पृथ्वी सिंह मेहरा	हरीलाल कुमावत	59	632.71	बाबा आर. एन गौड	सुशीला विहार	उपविभाजन/फ्री-होल्ड पट्टा	अपंजीकृत इकरारनामा

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

Direct Line - (+91-141-2574798) : EP/BX - +91-141-2569696 : Fax - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

8.	पुत्र श्री हनुमान सिंह	पुत्र श्री प्रभुदयाल कुमावत							
8.	श्री फूलाराम पुत्र श्री भगवानाराम	विद्या देवी पत्नी श्री मोतीराम	60	683.73	बाबा आर. एन गौड	सुशीला विहार	उपविभाजन/फ़ी-होल्ड पट्टा		अपंजीकृत इकरारनामा
9.	प्रहलाद प्रजापत पुत्र श्री कल्याण प्रजापत	श्री फूलाराम पुत्र श्री भगवानाराम	61	723.34	बाबा आर. एन गौड	सुशीला विहार	उपविभाजन/फ़ी-होल्ड पट्टा		अपंजीकृत इकरारनामा
10.	अधिराज सिंह पुत्र श्री जयसिंह	ब्रजराज सिंह पुत्र श्री जयसिंह	62	814.16	बाबा आर. एन गौड	सुशीला विहार	उपविभाजन/फ़ी-होल्ड पट्टा		अपंजीकृत इकरारनामा

आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर उपविभाजन/फ़ी-होल्ड पट्टा करने में किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का फ़ी-होल्ड पट्टा जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिनिधि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त सूचना का दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

Direct.Line - (+91-141-2574798) : EP/BX - +91-141-2569696 : Fax - +91-141-2574555

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-02
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

दिनांक 30/09/2022

क्रमांक LU2012/JDA/2022-23/102083

लोक सूचना

श्री SHREE KRISHNA VIHAR 5TH VIKAS SAMITI JARIYE PRESIDENT JAGDISH PRASAD KEDIA पुत्र
श्री PARMESHWAR LAL KEDIA जाति KEDIA निवासी 22 SHREE KRISHNA VIHAR 5TH COLONY
AKEDA DUNGAR AMER JAIPUR
ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का इंफ्रास्ट्रक्चर व वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स प्रयोजन के उपयोग हेतु
भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है. अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1	आकेडा डुंगर, आमेर (जयपुर)	MANGILAL, RAMPHOOL, RAM GOPAL	668/1451	7100	0.71
2	आकेडा डुंगर, आमेर (जयपुर)	MANGILAL, RAMPHOOL, RAM GOPAL	669	6900	0.69
3	आकेडा डुंगर, आमेर (जयपुर)	MANGILAL, RAMPHOOL, RAM GOPAL	685/1	5000	0.5
कुल					1.9

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 23 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर अपनी रसमएराओं आइडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी का आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 30-09-2022 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी जोन-02
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



Validity unknown

Digitally Signed by Shafali Kushwaha
Designation : DCAO
Date: 2022.09.30 15:04:27 IST
Reason: Approved
Location: Rajasthan, IN

दिनांक 30/09/2022 एवं लोकसूचना



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-14/2022/डी-3176

दिनांक 30-9-22

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारियों द्वारा दस्तावेज/आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने हेतु आवेदन किया गया है:-

क. सं.	भूखण्ड संख्या	नाम/पता	समिति नाम/निजी खातेदारी/जविप्रा	का योजना का नाम	विवरण
1.	बी-124	श्री विनोद कुमार जांगिड पुत्र श्री मूलचन्द जांगिड	जविप्रा	बक्सावाला	नामहस्तान्तरण/लीजडीड हेतु
2.	बी-67	श्रीमती संतोष माथुर पत्नी श्री मंगलेश्वर माथुर	जविप्रा	बक्सावाला	नामहस्तान्तरण/लीजडीड हेतु
3.	12	श्री लक्ष्मण शर्मा पुत्र श्री मून्नालाल शर्मा	निजी खातेदारी	अनिरुद्ध एनक्लेव	नामहस्तातन्तरण/लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड लीजडीड हेतु
4.	17 (पूर्वी भाग)	श्री अवधेश कुमार शर्मा पुत्र श्री प्रभूदयाल शर्मा	श्री गणपति गृ.नि.स. स.लि.	बलाजी विहार-1	नामहस्तान्तरण/उपविभाजन/लीजडीड हेतु
5.	17 (पश्चिमी भाग)	श्री दयानिधी शर्मा पुत्र श्री प्रभूदयाल शर्मा	श्री गणपति गृ.नि.स. स.लि.	बलाजी विहार-1	नामहस्तान्तरण/उपविभाजन/लीजडीड हेतु

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त जोन-14,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:-ज.वि.प्रा/उपा./जोन-13/2022/डी-5185

दिनांक:-4-10-2022

-: विज्ञप्ति :-


जविप्रा की व्यावसायिक योजना ट्रांसपोर्ट नगर के भूखण्ड संख्या ए-2/187 क्षेत्रफल 80 वर्गमीटर का आवंटन पत्र मैसर्स जे.एस. ट्रेडर्स प्रोपराईटर मोहम्मद शरीफ पुत्र स्व. श्री सुलेमान, निवासी-गोविन्द मार्ग, जनता कॉलोनी के पास, चिकन पॉइन्ट के पास, जयपुर द्वारा अपंजीकृत वसीयतनामा, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं प्रार्थना पत्र के आधार पर मैसर्स जे.एस. ट्रेडर्स प्रोपराईटर सुलेमान भाई पुत्र श्री सदरुद्दीन को आवंटित भूखण्ड का आवंटन पत्र स्वयं के नाम से जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

व्यावसायिक भूखण्ड संख्या ए-2/187 क्षेत्रफल 80 वर्गमीटर ट्रांसपोर्ट नगर योजना के प्रस्तुत अपंजीकृत वसीयतनामा, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं प्रार्थना पत्र के आधार पर आवंटन पत्र के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस की अवधि में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अपने दस्तावेजों सहित आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा मैसर्स जे.एस. ट्रेडर्स प्रोपराईटर मोहम्मद शरीफ पुत्र स्व. श्री सुलेमान, निवासी-गोविन्द मार्ग, जनता कॉलोनी के पास, चिकन पॉइन्ट के पास, जयपुर के पक्ष में भूखण्ड का आवंटन पत्र की कार्यवाही नियमानुसार कर दी जावेगी। मयाद् पश्चात् आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।


उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि:-जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

WWW.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./जोन-4/2022/डी-2299

दिनांक. 4-10-2022

विज्ञप्ति

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।


क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	गृ. नि. स. सं.	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	337-ए	न्यू पिकसिटी	सिद्धार्थ नगर-सी	श्री विकास गुप्ता पुत्र श्री रामशरण गुप्ता	श्री नहनू राम मीणा पुत्र स्व. श्री बिरधा	अपंजीकृत इकरारनामा दि: 12.12.2006, आदि प्रस्तुत किये हैं।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक: 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें।
- सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक: 14.03.2022 के क्रम में उक्त विज्ञप्ति को जविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

आम सूचना

निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के पट्टे /अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-


क्र सं	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग गज)	गृ.नि.स.स. /निजी खातेदारी योजना /जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा,जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती सरोज कंवर	मंजू कंवर	सी-9	68.11	भैरव	अमर नगर-सी	लीजडीड	आंवटन पत्र, साईट प्लान, क्षतिपूर्ति बन्धपत्र, आधार कार्ड, लाईट बिल

अतः उपरोक्त के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था व हितधारी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन की तिथी से 07 दिवस अथवा कैम्प दिनांक से पूर्व की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नम्बर-219 में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने की दशा में जविप्रा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।

उपायुक्त (जोन-7) अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

जनसम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक ज.वि.प्रा./जोन-7/ 2022/डी- 2133
दिनांक:- 4/11/2022



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2022/डी- 2132

दिनांक

4/11/2024

आम सूचना


निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/ अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री रामफूल चौधरी पुत्र श्री कालूराम चौधरी	श्रीमती विद्या देवी पत्नी श्री ताराचन्द	370	288 व. ग.	गुलाबबाड़ी गृ. नि.स.स.	गुरुजम्बेश्वर नगर-ए	नाम हस्तान्तरण	जविप्रा द्वारा जारी पट्टा, अपंजीकृत इकरारनामा


उपायुक्त, जोन- 7
जविप्रा, जयपुर
जयपुर

प्रतिलिपि:- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त, जोन- 7
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा. जोन-8/2022/डी-4248

दिनांक 30/9/2022

आम सूचना


निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भू.सं.	भू.क्ष.	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री राघव दीक्षित पुत्र डॉ. शैलेश दीक्षित	श्रीमती प्रेमलता देवी गुप्ता पत्नी श्री जुगल किशोर गुप्ता	67	183.33 व0ग0	हसनपुरा ए	बालाजी नगर बी	फ्री होल्ड	सदस्यता सूची में किसी भी व्यक्ति का नाम अंकित नहीं होने से।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा. जोन-8/2022/डी- 4251

दिनांक 30/9/2022


आम सूचना

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूसं.	भूक्ष. (व.ग.)	ग.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री रितेश हल्दिया पुत्र श्री प्रकाश चंद हल्दिया	श्रीमती बिन्दु गुप्ता पत्नी श्री ओमप्रकाश गुप्ता	48	95.95	लूनियावास	सी.जी.एम नगर	फ्री होल्ड	सदस्यता सूची में भूखण्ड संख्या 48 अंकित नहीं होने से।
2	श्रीमती नीलम पत्नी श्री राकेश कुमार	श्री रामप्रसाद जाट पुत्र श्री लालाराम जाट	39 (N.P)	70	हसनपुरा ए	बालाजी नगर बी	फ्री होल्ड	सदस्यता सूची में नाम में भिन्नता होने से।
3	श्रीमती दीपा एवं श्रीमती प्रिया	श्री रामप्रसाद जाट पुत्र श्री लालाराम जाट	39 (S.P)	69.47	हसनपुरा ए	बालाजी नगर बी	फ्री होल्ड	सदस्यता सूची में नाम में भिन्नता होने से।
4	श्री मुकेश कुमार सैनी पुत्र श्री रामपाल	श्री छगन लाल गुप्ता पुत्र श्री छीतरमल गुप्ता	36ए	70.55	हसनपुरा ए	बालाजी नगर बी	फ्री होल्ड	स्थल मानचित्र अहस्ताक्षरित
5	श्रीमती बाली देवी पत्नी श्री गोपाल सिंह	श्री छगन लाल गुप्ता पुत्र श्री छीतरमल गुप्ता	36	146.22	हसनपुरा ए	बालाजी नगर बी	फ्री होल्ड	स्थल मानचित्र अहस्ताक्षरित
6	श्रीमती प्रियवंदा पत्नी श्री संजीव कुमार दीक्षित	श्री गोविन्द नारायण गुप्ता पुत्र स्व. श्री लक्ष्मी नारायण गुप्ता	43ए	161.25	हसनपुरा ए	बालाजी नगर बी	फ्री होल्ड	अपंजीकृत दस्तावेज एवं सदस्यता सूची में नाम में भिन्नता
7	श्रीमती कुसुम शर्मा पत्नी श्री ओमप्रकाश शर्मा	श्री गोविन्द नारायण गुप्ता पुत्र स्व. श्री लक्ष्मी नारायण गुप्ता	44	150	हसनपुरा ए	बालाजी नगर बी	फ्री होल्ड	अपंजीकृत दस्तावेज
8	श्रीमती राज कंवर पत्नी श्री	श्री गोविन्द नारायण गुप्ता पुत्र	56ए	161.25	हसनपुरा ए	बालाजी नगर बी	फ्री होल्ड	अपंजीकृत दस्तावेज एवं सदस्यता सूची में नाम अंकित नहीं होने से।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (8310); फैक्स - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा. जोन-8/2022/डी- 4251

दिनांक 30/9/2022

	घनश्याम शर्मा	स्व. श्री लक्ष्मी नारायण गुप्ता						
9	श्री गिर्राज लाल गुप्ता पुत्र श्री ब्रदीलाल गुप्ता	श्री गोविन्द नारायण गुप्ता पुत्र स्व. श्री लक्ष्मी नारायण गुप्ता	56	87.50	हसनपुरा ए	बालाजी नगर बी	फ्री होल्ड	अपंजीकृत दस्तावेज एवं सदस्यता सूची में किसी भी व्यक्ति का नाम होने से।
10	श्री हेमन्त कुमार जैन पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार जैन	श्री गोविन्द नारायण गुप्ता पुत्र स्व. श्री लक्ष्मी नारायण गुप्ता	56 (N.P)	87.50	हसनपुरा ए	बालाजी नगर बी	फ्री होल्ड	अपंजीकृत दस्तावेज एवं सदस्यता सूची में किसी भी व्यक्ति का नाम होने से।
11	श्रीमती सोनू कुमारी गुप्ता पत्नी श्री पुरुषोत्तम व्यास	श्रीमती रुकमणी देवी पत्नी श्री गजानंद चौधरी	8	91.78	हसनपुरा ए	बालाजी नगर बी	फ्री होल्ड	अपंजीकृत दस्तावेज एवं सदस्यता सूची में नाम में भिन्नता होने से।
12	श्रीमती सीमा कुमारी पत्नी श्री धन कुमार जैन	अन्जु कुमार पत्नी श्री संजय कुमार	28	98.24	हसनपुरा ए	बालाजी नगर बी	फ्री होल्ड	सदस्यता सूची में नाम में भिन्नता होने से।
13	श्री अनिल शर्मा पुत्र श्री सम्पत राम शर्मा	श्री गोविन्द नारायण गुप्ता पुत्र स्व. श्री लक्ष्मी नारायण गुप्ता	53	150	हसनपुरा ए	बालाजी नगर बी	फ्री होल्ड	सदस्यता सूची में किसी भी व्यक्ति का नाम होने से।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:—जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (8310): फैक्स - +91-141-2574555

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-07
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102041

दिनांक: 29/09/2022

लोक सूचना

श्री LIKMARAM SARAN पुत्र श्री SEEMA RAM SARAN जाति JAT निवासी SARANU KI DHANI RAM NAGAR, LUNI BHANDOO KHURD, JODHPUR, RAJASTHAN -342001

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	केशोपुरा, सांगानेर (जयपुर)	JAGGA RAM SARAN, JASSA RAM SARAN, BABULAL SARAN, LIKMARAM SARAN, SHAILARAM SARAN	1019/474	8100	0.81
कुल					0.81

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 29-09-2022 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-07
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि:- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त, जोन- 7
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू ओ. नोट

विषय:- प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के तहत नियमन शिविर के सम्बन्ध में।

आम सूचना

निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री प्रदीप कुमार वर्मा पुत्र श्री बालूराम	श्रीमती मालती देवी पत्नी श्री दीनदयाल	13	166.66 व.ग.	श्री गणपति गृनिसस	गणेश नगर	लीजडीड जारी करने के सम्बन्ध में।	पत्रावली गुम होने के कारण।
2.	श्रीमति शारदा महरिया पत्नी श्री सन्तोष महरिया	कुमारी कल्पना पुत्री श्री सन्तोष महरिया	सी-1253	220.00 व.ग.	मोती भवन गृनिसस	4सी माचडा	लीजडीड जारी करने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित मानचित्र मे भूखण्ड सृजन के सम्बन्ध में।
			सी-1254	241.00 व.ग.	मोती भवन गृनिसस	4सी माचडा	लीजडीड जारी करने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित मानचित्र मे भूखण्ड सृजन के सम्बन्ध में।
3.	श्रीमति निर्मला अरोडा पत्नी श्री मदनमोहन	श्री बनवारी लाल पुत्र श्री प्रभाती लाल	67	17.95 व.मी.	मुरलीपुरा योजना	मुरलीपुरा स्कीम	लीजडीड जारी करने के सम्बन्ध में।	अपंजीकृत दस्तावेजात् के सम्बन्ध में।
4.	गोविन्द नारायण शर्मा पुत्र श्री सूरलमल शर्मा	सोनी देवी पत्नी श्री गोविन्दराम जी	284	361.00 व.ग.	सिन्धु नगर गृनिसस	16 व 16 ^{जा}	लीजडीड जारी करने के सम्बन्ध में।	अपंजीकृत दस्तावेजात् के सम्बन्ध में।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष: (+91-141-2570256) : ईपीबीएक्स-0141-7118...एक्सटेंशन:(7118)
रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

ई-मेल: {rajasthan.gov.in}
दूरभाष: (+91-141-2570256.) : ईपीबीएक्स-0141-7118...एक्सटेंशन:(7118):

ई-मेल: {rajasthan.gov.in}

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

संख्या.....D. 33.8)

दिनांक.....04.10.2020

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण सिरोही गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना सुकीर्ति विहार-15 के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरितों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 संपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुनर्ग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 संपठित धारा 90ए(5) एवं संपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुनर्ग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टर)	स्वामित्व
गोदूकाबासा तहसील आगेर	176	0.3000	राजेन्द्र पुत्र शंकर लाल हि. पूर्ण जाति भीणा नि. परसारागपुरा तह. नवलगढ जिला झुन्झुनू खातेदार
	177	0.0328	मोहन लाल पुत्र नन्दाराम हि. पूर्ण जाति भीणा नि. नीदंड तह. आगेर खातेदार
	176 / 733	0.1500	रुकमणी देवी पत्नि स्व. केशवराम उर्फ केशो हि. पूर्ण जाति ब्राह्मण सा. म.नं. 2334 तिवाडी बिल्डिंग नाहरगढ रोड जयपुर खातेदार
कुल किता 3		0.4828 हेक्टर	

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/ अभियान/2021/म.ग. 311 जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष के विज्ञापि प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा नं. 312, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जयपुर स्थित न्यायालय में कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुनर्ग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक.....04.10.2020 को गैरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त

जोन-12 जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102110

दिनांक: 04/10/2022

लोक सूचना

श्री NAND KISHORE GUPTA पुत्र श्री HANUMAN SAHAI जाति MAHAJAN निवासी 323 SECTOR NO 1 NEAR KHANDELWAL TOWER VIDHYADHAR NAGAR JHOTWARA JAIPUR ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का औद्योगिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अगिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	जेतपुरा, चौमू (जयपुर)	NAND KISHOR GUPTA	2863/1340	800	0.08
कुल					0.08

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अगिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अगिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह रामझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार गामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 04-10-2022 को जारी की गयी

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

दिनांक: 04/10/2022

क्रमांक: 11/2012/UDA/2022 23/102100

लोक सूचना

श्री PRAVEEN KUMAR SHARMA पुत्र श्री GOURI SHANKAR SHARMA जाति BRAHMAN निवासी
ASHOK VIHAR VISTAR PALIWA MARG JAIPUR ROAD CHOMU JAIPUR
ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का औद्योगिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति
अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	स्वातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1	जगतपुरा, चौमू, (जयपुर)	PRAVEEN KUMAR SHARMA	2859/1340	800	0.08
				कुल	0.08

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर अपनी एसाएसाओं आई.डी. से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दरतावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपरोक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 04-10-2022 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक LU2012/JDA/2022-23/102107

दिनांक 04/10/2022

लोक सूचना

श्री BABU LAL REWAD पुत्र श्री NATHU RAM REWAD जाति MAHAJAN निवासी 331 WARD NO 11
JITARWALO KI DHANI JAHOTA JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का औद्योगिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अग्निधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1	जैतपुरा, चौमू (जयपुर)	BABU LAL REWAD	2860/1340	700	0.07
कुल					0.07

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अग्निधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अग्निधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसाएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेजों को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 04-10-2022 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102105

दिनांक: 04/10/2022

लोक सूचना

श्री VISHNU DUTTA GOYAL पुत्र श्री CHOUTH MAL GUPTA जाति MAHAJAN निवासी 1/33
VIDHYADHAR NAGAR JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का औद्योगिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खरारा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	जेतपुरा, बौमू (जयपुर)	VISHNU DATT GOYAL	2862/1340	1000	0.1
कुल					0.1

इसलिए, इसके द्वारा सगरत संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसाएसाओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 04-10-2022 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102102

दिनांक: 04/10/2022

लोक सूचना

श्री VINESH KUMAR AGRWAL पुत्र श्री HANUMAN PRASAD AGRWAL जाति MAHAJAN निवासी
ASHOK VIHAR VISTAR PALIWA MARG JAIPUR ROAD CHOMU JAIPUR
ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का औद्योगिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति
अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1	जेतपुरा, चौमू (जयपुर)	VINESH KUMAR AGRWAL	2858/1340	1200	0.12
कुल					0.12

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 04-10-2022 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर